

कायालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एव नाडल आधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail : nodalofficerddn@gmail.com

Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक- 120 / FP/UK/PIPELINE/42629/2019 देहरादून:दिनांक: 12 जुलाई, 2021

समाप्त  
29/7/2021  
सेवा में,

श्री प्रवीण कुमार,  
वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊ वृत्त,  
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद-बागेश्वर में कपकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम को 20 वर्षों की लीज पर दिया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके माध्यम से प्रश्नगत प्रस्ताव दिनांक 23.10.2019 को ऑनलाईन प्राप्त हुआ था एवं प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रति दिनांक 07.06.2021 के द्वारा प्रस्ताव की तीन प्रतियां प्राप्त हुई हैं। आप द्वारा प्रस्तुत हार्ड प्रति के अवलोकन करने पश्चात निम्नप्रकार प्रस्ताव में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है।

1. प्रस्ताव में संलग्न विषयसूची अंकित नहीं है, पृष्ठ संख्या के अनुसार प्रेषित करें। कृपया सही सूचना अंकित की जाय।
2. प्रस्ताव में भाग-1, भाग-2, एवं भाग-3 को तैयार कर तीन मूल प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित करें, ताकि सूचना तैयार कर भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।
3. प्रस्ताव की मूल प्रति प्रेषित नहीं की गयी है।
4. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र 3 के भाग-2 में बिन्दु संख्या 07 की संख्या 05 में वन कानूनी स्थिति अंकित नहीं है। बिन्दु संख्या 07 की संख्या 06 में हरियाली का घनत्व एवं संख्या 07 एवं 08 में बिन्दु भी अंकित नहीं है।
5. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या-03 के बिन्दु संख्या 12- के बिन्दु संख्या 02,03 एवं 04 अंकित नहीं किये गये हैं एवं स्थान व दिनांक अंकित नहीं है।
6. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 40 में परिवारों व जनसंख्या का योग अंकित नहीं है।
7. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 30 में एफ0आर0ए0 में दिनांक अंकित नहीं है।
8. प्रस्ताव में संलग्न प्रपत्र संख्या 25 में संरक्षित क्षेत्र का नाम अंकित नहीं है।

अतः उपरोक्त कमियों का निराकरण करने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी/प्रभागीय वनाधिकारी को अपने स्तर से निर्देशित करते हुये कमियों का पूर्ण निराकरण करवाकर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डॉ० कपिल जोशी)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या :- 120 / FP/UK/PIPELINE/42629/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि श्री हिमांशु बागडी, प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव में इंगित कमियों का प्रस्तावक विभाग से पूर्ण निराकरण करवाकर प्रस्ताव इस कार्यालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संख्या 586  
29/7/2021  
संख्या 12-1-2  
क कार्यवाही करें।

(डॉ० कपिल जोशी)  
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।


alt

प्रति- अधिशासी अधिकारी  
के प्रमुख निगम बॉम्बे  
को एक आशय के पत्र  
कि उक्त प्रस्ताव पर नोट  
अधिकारी द्वारा अगाम्य  
कार्रवाई के निराकरण का  
इस कार्यालय को उपलब्ध  
करना सुनिश्चित करें।


*(Signature)*

**P. E. Q. Department**


With reference to the EDS of our office-(screenshot attached)



Reply is uploaded online at your end-



**For point no. 1-** FRA uploaded is not clearly scanned as well as undated; also VLC proceeding/NOC is still not found uploaded as per the detail mentioned in the village wise break up at B2.3.



**For point no.2-** Still many documents are not found uploaded- Aerial distance certificate (by mentioning distance from nearest PA and Name of Nearest PA), Check list/Fact sheet, Plantation scheme, Certificate to comply geologist report, certificate to pay inc in NPV amount, certificate of felling minimum tree, task force report, certificate for complying the condition imposed in standard condition, no historical/monumental or religious place will be affected, no wild life adversely affected certificate, Undertaking to provide alternative fuel wood, kerosene or LPG to labours involved in project and other relevant document pertain to the proposal; also Aerial distance certificate, bar chart, land schedule, NPV certificate, Plantation scheme is to be uploaded as additional information in Part II.

.....NODAL OFFICE.....